UPAL010011082026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–662 सन् 2026

कृष्ण गोपाल उर्फ गोपाल पुत्र मुनेश्वर दयाल निवासी–गोविन्द नगर गली नं0 2 थाना क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **कृष्ण गोपाल उर्फ गोपाल पुत्र मुनेश्वर दयाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–1271/2025, धारा 333,308(3),115(2),109(1),351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना क्वार्सी,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किये गये।

3. संक्षेप में अभियोजन केस निम्न प्रकार है कि दिनांक–28.12.2025 को समय करीब शाम सात बजे वादी नितिन कुमार शर्मा के चाचाजी के लड़के अनुभव शर्मा के घर पर गोपाल पुत्र मुनेश्वर व उसका साथी हिमांशु नशे की हालत में आये और वादी के चाचा के लडके से शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर अनुभव शर्मा ने पैसे देने से मना किया तो अनुभव शर्मा के उपर गोपाल व हिमांशु ने जान से मारने की नीयत से कैंची से हमला कर दिया जिससे उसके गम्भीर चोटे आयी जिसे वादी तत्काल मलखान सिंह हास्पीटल लेकर गये जहॉ से मैडीकल कालेज रैफर कर दिया जिसका वर्तमान में जे.एन.मैडिकल कालेज में उपचार चल रहा है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से कहा गया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और अभियुक्त को उसके घर से दिनांक–30.12.2025 को गिरफ्तार किया गया है जबकि गिरफ्तारी पेट्रोल पम्प से दिखायी गयी है। वादी राजनैतिक व्यक्ति होने के कारण गम्भीर धाराओं में मुकदमा लिखाने में सफल रहा है जबकि चोट सामान्य बतायी जाती

है। अभियुक्त प्राईवेट जॉब करता है और अपने वृद्व मॉ बाप के पास रहता है बडा भाई परिवार से अलग रहता है। अभियुक्त दिनांक–30.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रा. र्थनापत्र
निरस्त किया जाये।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फा. ौजदारी) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 28.12.2025 को समय करीब शाम 07:00 बजे वादी के चाचाजी के पुत्र अनुभव शर्मा के घर पर अभियुक्त व उसके साथी नशे की हालत में आये और वादी के चाचा के लड़के अनुभव शर्मा से शराब पीने के लिये पैसे मांगने पर अनुभव शर्मा ने पैसे देने से मना कर दिया तो अनुभव शर्मा के ऊपर जान से मारने की नियत से कैंची से हमला कर दिया, जिससे उससे गम्भीर चोटें आना कहा गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। चुटैल अनुभव शर्मा द्वारा भी बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में घटना का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त गवाह पंकज शर्मा, हरीशंकर, उमेश शर्मा द्वारा भी अपने बयानों में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। चुटैल का इलाज जे०एन०मेडीकल कॉलेज, ए०एम०यू०, अलीगढ़ में होना दर्शित किया गया है तथा चुटैल की डिस्चार्ज टिकट के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटैल दिनांक 28.12.2025 से दिनांक 30.12.2025 तक जे०एन०मेडीकल कॉलेज, ए०एम०यू०, अलीगढ़ में भर्ती रहा था तथा चुटैल के Diagnosis में A/H/O Stab injury on chest (left side) होना उल्लिखित किया गया है तथा CARDIOTHORACIC & VASCULAR SURGERY PROFORMA J.N. MEDICAL COLLEGE, A.M.U. ALIGARH के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटैल को 1X2cm laceration present with no active bleed होना अंकित किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैंची की बरामदगी होना भी दर्शित किया गया है परन्तु फर्द बरामदगी में कैंची की बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी होना दर्शित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **कृष्ण गोपाल उर्फ गोपाल** पुत्र मुनेश्वर दयाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 17:41:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court